राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक एफ. 1(3)आ.प्र.एवं सहा./ओला0/2015/1853-1903 जयपुर, दिनांक 18-3-2015

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषयः– ओलावृष्टि से प्रभावित परिवरों को दिये जाने वाला राहत पैकेज।

महोदय,

राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में आपके जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों को राहत पहुंचाने हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्ररकार हैः–

1. जिन लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति (बोये गये क्षैत्र का) हुई है, उनको निम्न अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा जो एस.डी.आर.एफ. मानदण्डो के अन्तर्गत सम्बन्धित जोत सीमा एवं नोर्म्स अनुसार अधिकतम दो हैक्टेयर तक देय होगाः–

(i) असिंचित क्षेत्र हेतु	4500 रूपये प्रति हेक्टयर
(ii) सिंचित क्षेत्र हेतु	
(ए) बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु	9000 रूपये प्रति हेक्टयर
(बी) डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षैत्र हेतु	12000 रूपयें प्रति हेक्टयर

2. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की बोये गये क्षैत्र का फसल में 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है, उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेगें।
3. ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।
4. ओलावृष्टि से प्रभावित गांव जिसमें 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, को अभावग्रस्त घोषित किये जाने हेतु सूखा संहिता के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित की जावेगी।
5. अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त ग्रामों में अभावग्रस्त घोषित किये जाने के पश्चात भू–राजस्व वसूली स्थगन किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जावेगा।
6. राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होनें खेती ठेके पर की है वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्रामसेवक की एक तीन सदस्य समिति का गठन किया जाये। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर

निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिये कृषकों को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

7. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उससे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

8. ओलावृष्टि से प्रभावितों (मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं की मृत्यु आदि) को राज्य आपदा मोचन निधि मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

   (i) एस.डी.आर.एफ. में निर्धारित नॉर्मस के अन्तर्गत जनहानि के लिये 1.5 लाख रूपये देय है। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

   (ii) निर्धारित नोर्मस के तहत वर्तमान में अधिकतम 4 भेड़–बकरी के लिये 1650 रूपये प्रति पशु निर्धारित है। मृतक भेड़– बकरी के लिये प्रति परिवार/काश्तकार को देय राहत की अधिकतम सीमा 1 लाख रूपये की जाती है, जिसमें 4 पशुओं तक सहायता एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स से देय है एवं शेष सहायता राज्य मद से दी जायेगी।

   (iii) निर्धारित नोर्मस के तहत वर्तमान में अधिकतम एक दुधारू पशु (गाय, भैंस, ऊँट) के लिये 16400 रूपये प्रति पशु निर्धारित है। प्रति काश्तकार/परिवार देय राहत की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रूपये की जाती है। परन्तु 1 पशु तक सहायता राशि एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स से देय है एवं शेष सहायता राज्य मद से दी जायेगी।

9. यह सहायता केवल दुधारू पशुओं के लिए देय है। बडे पशुओं में गाय, भैंस, ऊंटणी शामिल है तथा छोटे पशुओं में भेड, बकारिया शामिल है । यह सहायता एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अन्तर्गत देय सहायता को शामिल करते हुए सहायता राशि क्रमशः बिन्दु संख्या 8 (ii) की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये एवं बिन्दु संख्या 8 (iii) की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रूपये है।

18/3/15

शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, जयपुर।

18/3/15

संयुक्त शासन सचिव